अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट ने स्टाम्प पर राजीनामा जरिये इकरारनामां भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 01, 02, 04 व 06 द्वारा दिनांक 08–11–2017 को प्रस्तुत राजीनामा एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 03, 05, 07 व 08 द्वारा दिनांक 09–01–2018 को प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में पत्रावली तलब की गई। पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 ने निवेदन किया है कि अपील में वर्णित ग्राम रुपपुरा तहसील नावां जिला नागौर स्थित साबिक आराजी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

खसरा नं0 116 हाल आराजी खसरा नं0 306, 307, व 311 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 स्वयं का तथा उनके पूर्वजों का कभी भी किसी भी हैसियत से कब्जा काश्त नही होना राजीनामा मे दर्शाया है। उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से तथा निश्चित दिवस दिनांक 15–10–1995 को उक्त आराजी पर कब्जा काश्त मांगूराम पुत्र गंगाराम जाट, छिगनाराम पुत्र शिवबक्ष जाट, चन्द्राराम पुत्र गंगाराम गुर्जर, जसाराम पुत्र बीजाराम गुर्जर निवासीयान रूपपुरा तहसील नावां जिला नागौर का बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस संख्या 01,02,04 व 06 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मे यह भी अंकित किया है कि अपील में अंकित आराजी का पर्चा लगान भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत जारी करने से रेस्पोडेन्टस संख्या 10 से 13 के पूर्वजों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के समक्ष वाद संख्या 305/1976 प्रस्तुत किया गया एवं उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 06–08–1980 को स्वीकार किया है वह विधिनुसार है जिसमें हस्तक्षेप को काई आवश्यकता नही है।

अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा सह शपथ कथन किया है कि हमारी जाति राजदमामी है तथा हमें ग्राम रूपपुरा तहसील नांवा के कुछ लोगों ने गलत रूप से उकसा दिया इस कारण हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे तहत न्यायालय ने अनुसूचित जाति के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 6–8–1980 को निरस्त किया है। उक्त अपील जो अपीलांट नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत करवाई गई है जिसे माननीय न्यायालय स्वीकार करती है तो हम अपीलांट /रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 एवं हमारे विधिक वारिसानों को कोई उज्र व एतराज नहीं है व ना भविष्य में ही कोई आपत्ति होगी अर्थात अपीलांट नारायण लाल के द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2013 निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

Scanned by CamScanner

अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात पर मांगूराम पुत्र हुक्माराम जाट, छिगनाराम पुत्र शिवबक्ष जाट, चन्द्राराम पुत्र गंगाराम गुर्जर, जसाराम पुत्र बीजाराम गुर्जर निवासीयान रूपपुरा तहसील नांवा काबिज थे इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 लगायत 13 के काबिज काश्त हुए तथा उक्त रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 लगायत 13 के द्वारा अपीलांट को जरिये पंजीकृत विकय पत्र बेचान कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त करवा दिया है जो विधिसम्मत है। अर्थात विवादग्रस्त आराजियात से अपीलांट के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा यह भी कथन किया कि भागीरथ पुत्र गणेशम जाति राजदमामी का स्वर्गवास दिनांक 20–1–1931 तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमति सायरदेवी पत्नी भागीरथ जाति राजदमामी का स्वर्गवास दिनांक 10–2–1940 को हो चुका है तथा उक्त आराजी पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 लगायत 13 एवं इनके पूर्वज काबिज काश्त थे एवं अब वर्तमान अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण में अंकित रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 के पिता बंशीलाल पुत्र जयदेव जाति राजदमामी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष वाद संख्या 297 सन् 1995 बउनवानी बंशीलाल बनाम मु0 अलदी बेवा मांगराम जाट व अन्य अन्तगत धारा 88, 89 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था जो दिनांक 13–4–1999 को खारिज हो चुका है तथा उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आराजियात से हम अपीलांट / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 व अन्य रेस्पोन्डेन्ट्स जो इस अपील में अंकित है, का कोई संबंध व सरोकार नहीं है व उक्त आराजी पर वर्तमान अपीलांट ही बतौर सद्भावी कृषक की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट /रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 08 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त राजीनामा का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य दृष्टिगोचर होते है कि विवादग्रस्त आराजियात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से तथा निश्चित दिवस दिनांक 15–10–1995 को उक्त आराजी पर कब्जा काश्त मांगूराम पुत्र गंगाराम जाट, छिगनाराम पुत्र शिवबक्ष जाट, चन्द्राराम पुत्र गंगाराम गुर्जर, जसाराम पुत्र बीजाराम गुर्जर निवासीयान रुपपुरा तहसील नावां जिला नागौर का बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। जो रेकार्ड से स्पष्ट है। अतः अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नांवा जिला नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2013 अपील संख्या 04/2012 में पारित निर्णय निरस्त किया जाकर उक्त आदेश से पूर्व के इन्द्राजात को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned by CamScanner